


राजनीति विज्ञान

अध्याय-1: संविधान - क्यों और कैसे



संविधान



संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने इवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है।

प्रत्येक स्वतंत्र देश को अपना एक संविधान होता है, जो सरकार के अंग विधानमंडल (Legislature), न्यायतंत्र (Judiciary), कार्यपालिका (Executive) के गठन और कार्य की परिभाषा करता है ओर उसके अधिकार और जवाबदारीयों को सुनिचित करता है।

संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से उसे मूल कानून भी कहा जाता है।

किसी भी गणतंत्र राष्ट्र का आधार संविधान होता है, इसमें उस देश या राष्ट्र के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा देश का प्रशासन चलाने के लिए नियम का निर्माण किया जाता है, जिससे सत्ता का दुरुप्रयोग रोका जा सकता है। संविधान के द्वारा मूल शक्ति वहाँ की जनता में निहित की जाती है, जिससे किसी गलत व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचने पर उसको पद से हटाया जा सकता है।

किसी भी देश का संविधान उस देश को आत्मा को भी कहते हैं क्योंकि संविधान में ही उस देश के सभी मूल भाव व कर्तव्य निहित होते हैं।

संविधान देश के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक आदि परिस्थिति के आधारित बनाया जाता है।

संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से है, जिसमें दिए गए नियम व निर्देश के आधार पर शासन किया जाता है, इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता है। किसी भी देश के संविधान को लचीला बनाया जाता है, जिससे उसमें समय के अनुसार प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है, भारतीय संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

संविधान का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार शासन को नहीं चला सकता है, इसमें जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान के द्वारा आम नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है, मतदान के द्वारा ही देश की सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों में सभी प्रकार की शक्ति विद्वमान होने की बात स्वीकारी गयी है, यह प्रस्तावना ही संविधान के उद्देश्य की जानकारी देती है।

भारतीय संविधान क्या है

भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, यह प्रणाली इंग्लैंड से ली गयी है। इसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। यह एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। जिसमें भारत के प्रशासन चलाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस संविधान में दिए गए नियमों का उलंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है, यदि कोई भी कानून संविधान की मूल भावना और ढांचे के विपरीत पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकती है।

संसद



केंद्र स्तर पर संविधान द्वारा स्थापित विधायिका को संसद या Parliament of India कहा जाता है। अपितु किसी भी राज्य में भी विधायिका होती है और उसे राज्य स्तर पर विधानमंडल या Legislative of State कहते हैं लेकिन भारत देश में सबसे बड़ी विधायिका के रूप में संसद ही है जो केंद्र सरकार के गठन में कार्य करती है और संविधान अनुसार के अनुसार प्राप्त शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका को सहयोग व नियंत्रित करती है।

भारत में देश हित के कानून संसद में ही बनाये जाते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है जो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान (The Constitution of India) के पांचवें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार सहित अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है जिसके बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक जानेगे।

भारतीय संविधान से क्या मतलब है

15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश को का शासन कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, सरकार को क्या अधिकार और क्या जवाबदारी होगी, शासन के लिए पैसे कहा से आयेंगे और खर्च कहा पर होगा, पड़ोशी देश के साथ व्यवहार कैसा होगा। ऐसे सभी प्रश्नों को एक संविधान की जरूरत थी इसीलिए भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ।

भारतीय संविधान की शुरुआत

वर्ष 1942 में भारत छोड़े आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अन्य देशों के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का दबाव इंग्लैण्ड पर पड़ने लगा, जिसमें इंग्लैण्ड की तत्कालीन सरकार का सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन सभी दबावों के साथ इंग्लैण्ड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन का उत्तरदायित्व भारत की सत्ता भारत के लोगों को हस्तांतरण करके वापस आना था।

कैबिनेट मिशन ने वर्ष 1946 में कुछ प्रावधान तय किये जिसमें एक प्रावधान संविधान सभा का गठन करना था। यह सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगी और सत्ता ग्रहण करेगी।

कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया जिसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉ सच्चिदानंद के द्वारा की गयी, डॉ सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे।

संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना। इस संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। इसका अध्यक्ष डॉ भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया तथा पूर्ण संविधान 26 नवम्बर 1950 को लागू किया गया।

संविधान के प्रमुख बिंदु

भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इस संविधान में दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में कई अन्य देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया गया है।

अन्य देशों से लिए गए प्रावधान

ब्रिटिश संविधान

- ❖ सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फ़ैसला
- ❖ सरकार का संसदीय स्वरूप
- ❖ कानून के शासन का विचार
- ❖ विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका
- ❖ कानून निर्माण की विधि

आयरलैंड का संविधान

- ❖ राज्य के नीति निर्देशक तत्व

फ्रांस का संविधान

- ❖ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत

अमेरिका का संविधान

- ❖ मौलिक अधिकारों की सूची
- ❖ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता

कनाडा का संविधान

- ❖ एक अर्द्ध-संघात्मक सरकार का स्वरूप (सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था)
- ❖ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत

संयुक्त राज्य अमेरिका-

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं उस पर महाभियोग, न्यायधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता।

इंग्लैण्ड-संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व कानून बनाने की प्रक्रिया।

आयरलैंड-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन उपबंध

ऑस्ट्रेलिया- प्रस्तावना की भाषा, संघ और राज्य के सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन, समर्वती सूची का प्रावधान।

सोवियत रूस- मूल कर्तव्य।

जापान- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

फ्रांस- गणतंत्रात्मक शासन पद्धति।

कनाडा- संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना।


दक्षिण अफ्रीका- संविधान संसोधन की प्रक्रिया।

जर्मनी- आपातकालीन उपबंध।

भारत का संविधान किसने और कब

भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर, 1949 को यह पूरा हुआ था लेकिन 26 जनवरी, 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ था। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में लिखी गई थीं।

हमारा संविधान (Constitution) हाथों से लिखा गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाथों से लिखा गया संविधान है।




संविधान के कार्य

- सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना।
- शासन की संरचना को स्पष्ट करना।
- नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना।
- राज्य को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना।
- भविष्य की दृष्टि के साथ एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करना।

भारतीय संविधान के प्रकार

इसको संविधान का वर्गीकरण भी कहते हैं, यहां पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है।



केंद्र राज्य सबंध आधारित प्रकार

- परिसंघीय(Cofederal)
- संघीय(Federal)

- एकात्मक(Unitary)

विधायिक और कार्यपालिका संबंध आधारित प्रकार

- संसदीय प्रणाली(Parliamentary)
- राष्ट्रपति प्रणाली(Presidential)

परिवर्तनशीलता आधारित प्रकार

- लचिलू (नम्य) (Flexible)
- कठोर (अनम्य) (Rigid)

निर्माण प्रक्रिया आधारित प्रकार

- लिखित & निर्मित (Written & Enacted)
- अलिखित & विकसित (Unwritten & Evolved)

लिखित संविधान विरुद्ध अलिखित संविधि

लिखित संविधान (Written Constitution)	अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)
लिखित संविधान एक ही दस्तावेज़ में संग्रहीत देश की राज्य प्रणाली के लिए बुनियादी नियम और सिद्धांत हैं।	लेकिन जब किसी देश की राज्य व्यवस्था के लिए बुनियादी नियम और सिद्धांत एक ही दस्तावेज़ में न रख कर, समय-समय पर उन्हें जरूरत के अनुसार अलग-अलग दस्तावेजों में संग्रहित किया जाता है, तो इसे अलिखित संविधान कहा जाता है।
उदा. भारत, अमेरिका, जापान आदि के संविधान लिखित हैं।	उदा. ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इंजराइल आदि के संविधान अलिखित हैं।
लिखित में सभी संवैधानिक कानून एक किताब के पन्नों के रूप में होते हैं	अलिखित में सभी संवैधानिक कानून मटेरियल के पन्ने की तरह होता है जीसमें हर नए कानून के पन्ने को जोड़ दिया जाता है
इसमें संविधान को आधार मान कर नए कानून बनाये जाते हैं	इसमें परिस्थिति और जरूरत के आधार पर कानून बनाए जाते हैं


संविधान के सिधांत को उल्लंघन करने वाले कानून खारिज कर दिए जाते हैं	इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं होती है
यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना जाता है	यहाँ पर संसद को सर्वोच्च माना जाता है
ज्यादातर लिखित संविधान में न्यायतंत्र अलिखित से ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र होता है	इसमें न्यायतंत्र को थोड़ी कम स्वतंत्रता मिलती है
इसमें संवैधानिक और अन्य कानून ऐसे विभाग पड़ते हैं	संविधान ही लिखित न होने हैं सभी कानून समान हैं
यह संविधान सभा द्वारा निचित तारीख को प्रकाशित किया जाता है	इसको संसद द्वारा समय समय पर विकसित करके नए कानून जोड़े जाते हैं
लिखित संविधान कठोर या लचीला हो सकता है	अलिखित संविधान लचीला ही होता है
लिखित संविधान संघीयता या एकात्मक हो सकता है	अलिखित संविधान संघीय नहीं हो सकता है उसको एकात्मक ही होना पड़ेगा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्षा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समर्थन नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गणिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (ग्रिंड मार्ग शीर्ष शुवल सम्मी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् घारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान की उद्देशिका



प्रस्तावना का उद्देश्य

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय उपलब्ध कराना।

विचार, मत, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना।

पद और अवसर की समानता देना।

व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना।

आवश्यक तत्व

- उद्घोषित करती है कि भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है।

- उद्घोषित करती है कि भारत भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक है।
- उद्घोषित करती है कि भारत के लोगों का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना है तथा बंधुत्व की भावना का विकास करना है।
- उद्घोषित करती है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया है।

उद्देशिका का महत्व

संविधान के मूल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है।

संविधान निर्माताओं के महान और आदर्श विचारों की कुंजी है।

सर अल्लादी कृष्णास्वामी अच्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वर्जों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

के. एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्मकुंडली है।

सर अर्नेस्ट वार्कर ने उद्देशिका को अपने सामाजिक, राजनैतिक विचारों की कुंजी माना तथा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल ध्योरी में आमुख के रूप में शामिल किया।

एम. हिदायतुल्ला के अनुसार उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है।


भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबन्धित तथ्य

- भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर, 1949 को स्वीकार किया गया लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी, 1950 से संपूर्ण लागू किया गया।
- उद्देशिका, नीति-निदेशक तत्वों तथा मूल कर्तव्य की तरह ही वाद योग्य नहीं है, अर्थात् इसके उल्लंघन के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है और न ही कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है।
- 13 दिसंबर, 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा।

- डेमोक्रेसी शब्द के दो यूनानी शब्दों डेमो और क्रेटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन।
- प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है, हमारे भारतीय संविधान का दर्शन पंडित नेहरु के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प से लिया गया है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को अंगीकार किया था।
- उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमत प्रकट की थी कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, जहाँ अस्पष्ट शब्द पर जाएं या उनका अर्थ स्पष्ट ना हो, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है।
- उद्देशिका में लिखित है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है।
- भारत को 26 जनवरी, 1950 को एक गणराज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं।
- उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि प्रमुख शब्द प्रयोग किए गए हैं।
- भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र अपनाया गया है। जहाँ संसद सदस्यों और विधायकों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है।
- इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसकी शुरुआत पंचायती तथा नगर निगम निकायों से (73 वें और 74 वें संवैधानिक संसोधन 1992 द्वारा) शुरू की गयी।
- इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को भी अपनाया गया है। गणराज्य या गणतांत्रिक व्यवस्था का तात्पर्य राष्ट्र का अध्यक्ष, आनुवांशिक न होकर निर्वाचित होगा।
- संविधान की उद्देशिका में न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के रूप में की गयी है, जिसमें राजनैतिक न्याय के द्वारा राज्य को ज्यादा कल्याणकारी बनाकर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

- स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित है।
- स्वतंत्रता एक अनिवार्य तत्व है। किसी भी समाज के व्यक्तियों के व्यक्तिगत बौद्धिक, आध्यात्मिक, विकास के लिए समानता का अर्थ है – प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता।
- हमारे संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक करार दिया गया है। चाहे वह धर्म के आधार पर हो, जाति, लिंग, जन्म अथवा राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतिम लक्ष्य है, कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना, इस प्रकार उद्देशिका यह घोषणा करती है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं, भारतीय राजव्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है और भारतीय राज्य लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जिसमें लोगों को मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गयी है तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की गयी है।
- उद्देशिका संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों व आकांक्षाओं का सक्षिप्त रूप है।
- अमेरिका का संविधान प्रथम संविधान है, जिसमें उद्देशिका सम्मिलित है।
- भारत के संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरु द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
- उद्देशिका 42 वें संविधान संसोधन (1976) द्वारा संशोधित की गयी। इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए।
- प्रमुख संविधान विशेषज्ञ एन. ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।

संविधान की आवश्यकता



किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान, कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। प्रत्येक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। यह सर्वोच्च कानून है। जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है।

संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है। जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं संविधान से किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ-साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं संविधान अनेक कार्य हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं।

- यह साथ रहे रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे तथा सहयोग विकसित करता है।
- संविधान स्पष्ट करता है। कि सरकार का गठन कैसे होगा तथा किसे फैसले लेने का अधिकार है।
- यह सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है। तथा हमें बताता है। कि नागरिकों के अधिकार क्या क्या है।
- यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।

संविधान और लोकतांत्रिक सरकार

- भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का महत्व और भी अधिक है लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह ऐसी सरकार होती है जिसमें सरकार की शक्ति स्पष्ट रूप से परिभाषित रहती है लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों के अधिकार का भी स्पष्ट विवरण दिया जाता है सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाएं किस प्रकार निर्धारित की जाए यह संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है।
- इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान एक आलेख मात्र नहीं है अपितु यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकसित होता रहता है।

- प्रत्येक संविधान की सार्थकता तथा विषय वस्तु उसके क्रियान्वयन के तरीके तथा उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर निर्भर है इस प्रकार संविधान एक जीवित आलेख है।

संविधान के मौलिक प्रावधान



मौलिक अधिकारों के बारे में:

- संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है।
- संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गई है।
- 'मैग्नाकार्टा' अधिकारों का वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था।

मौलिक अधिकार: भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण



संविधान सभा में चर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉ. बी.आर. अंबेडकर

संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में "स्वराज विधेयक" द्वारा की गई।

1916 में होमरूल लीग आन्दोलन चलाया गया। जिसमें घरेलू शासन सचांलन की मांग अग्रेजो से की गई।

1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा- कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण -भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा।

अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। जिसकी अध्यक्षता पं. मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया।

इसके अन्तर्गत ब्रिटीश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। जिसमें मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवम् डोमिनियम स्टेट के प्रावधान रखे गए।

इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया।

1929 में जवाहर लाला नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ। जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई।

1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई।

मार्च 1942 में दुसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरान्त क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया। लेकिन यहां भी 'डोमिनियम स्टेट' अवधारणा रखी गई।

जिसे कांग्रेस लीग और गांधीजी ने नामंजूर कर दिया। तथा गांधीजी ने इस मिशन को 'पोस्ट डेटेड चैक' की संज्ञा दी।

अर्थात् अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है।

भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालिन वायसराय लार्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलायी जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को 'शिमला सम्मेलन' या वेवल योजना के नाम से जाना जाता है।

मार्च 1946 में केबिनेट मिशन भारत भेजा गया। जिसकी अध्यक्षता 'सर पैथिक लारेन्स' ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिम्स और ए. वी. अलेक्जेण्डर थे।

इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई जो निम्न प्रकार है-

संविधान सभा में कुद सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई।

ब्रिटीश भारत से - 292 सदस्य

चीफ कमीशनरी से - 4 सदस्य

देशी रियासतों से - 93 सदस्य रखे गये।

ब्रिटीश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया।

प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य को चुना जाएगा।

सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया-

पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया।

इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव सम्पन्न कराए गए। जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग 73 तथा अन्य 15 सीटे जीते।

चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में

- दिल्ली
- कुर्ग(कर्नाटक)
- अजमेर-मेरवाड़ा
- ब्रिटिश ब्लूचिस्तान(पाक)

इसी के आधार पर अन्तरीम सरकार का गठन 1946 में किया गया। जिसमें 2 सितम्बर 1946 से कार्य करना प्रारम्भ किया जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं किया।

इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लार्ड वेवल था। तथा उपाध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू थे।

इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई।

26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुर्नगठन किया गया। लीन ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए।

मार्च 1947 में माउण्ट बेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जुन 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे विभाजन/ माउण्ट बेटन/ जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया।

इस योजना की क्रियान्विती 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। इसके निम्न प्रावधान थे-

भारत को 2 डोमिनियम स्टेटों में बांटा गय-

(1) भारत (2) पाकिस्तान

भारत से ब्रिटीश सम्प्राट के सभी अधिकार हटा लिए गए।

पुर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला पाकिस्तान को दे दिया गया।

भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्ण न हो। 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तया किया गया।

संविधान सभा को सम्प्रभू/ सम्प्रभूता की स्थिति प्राप्त हो गई।

भारत का वायसराय माउण्ट बेटन बना रहा। लेकिन पाकिस्तान में गर्वनर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बनें।

विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया।

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सचिवदानन्द सिन्हा को बनाया गया।

दुसरी बैठक 11 दिसम्बर 1946 को हुई। जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष एच. सी. मुखर्जी थे तथा सचिवानिक सलाहकार बी. एन. राव थे।

तीसरी बैठक 13 दिसम्बर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया। जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्ही उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई।

संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हंतु कुछ समितियों का गठन किया गया जो निम्न प्रकार थी



समिति	अध्यक्ष
1 संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
2 संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू
3 राज्यों के लिए समिति	जवाहर लाल नेहरू
4 राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति	सरदार पटेल
5 मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति	सरदार पटेल
6 प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार पटेल
7 मौलिक अधिकारों पर उपसमिति	जे. बी. कृपलानी
8 झण्डा समिति अध्यक्ष	जे. बी. कृपलानी
9 प्रक्रिया नियम समिति(संचालन)	राजेन्द्र प्रसाद
10 सर्वोच्च न्यायलय से संबंधित समिति	एस. एच. वर्धाचारियर
11 प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति	अल्लादी कृष्णा स्वामी अरयर
12 प्रारूप समिति/ड्राफ्टिंग/मसौदा समिति	डा. भीमराव अम्बेडकर
13 संविधान समीक्षा आयोग	एम एन बैक्टाचेलेया

प्रारूप समिति के 7 सदस्य निम्न थे

- डा. बी. आर. अम्बेडकर



बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर

- अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर



- एन. गोपाल स्वामी अयंगर



- कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुशी



- एन. माधवराज -यह बी. एल. मित्र के स्थान पर आये थे।



- टी. टी. कृष्णमाचारी - यह डी. पी. खेतान के स्थान पर आये थे।



- मोहम्मद सादुल्ला



प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी।

संविधान सभा में पहली बैठक के अन्तर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया।

संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरान्त संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई।

अक्टुबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।

संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन सम्पन्न किए गए।

अन्तिम वाचन 17 नवम्बर 1949 से 26 नवम्बर 1949 तक।

कुल बैठके 105 तथा 12 अधिवेशन सम्पन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन सम्पन्न किए गए।

7 वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजली अर्पित कि गई।

मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया।

भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया है।

भारतीय संविधान सभा ने दो प्रकार से कार्य किया।

(1) जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद करते तथा

(2) जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावंलकर द्वारा की जाती।

संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवम्बर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति जवाहर लाल नेहरू था।

राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता था। तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए।

11 सदस्य देशी रियासतों से तथा 1 चीफ कमीश्नरी अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र से हैं।

26 नवम्बर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद जिसमें नागरिकता, अन्तर्रिम संसद तथा सक्रमणकालीन उपबंध लागु किए गए।

सम्पुर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अन्तिम बैठक बुलाई गई। जिसमें डा. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया।

राष्ट्रगान:- रविन्द्र नाथ टैगोर - पहली बार 1911 के कोलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। अवधि - लगभग 52 सैकण्ड। रचना - मूल बांग्ला भाषा में

राष्ट्रीय गीत - बंकिम चन्द चटर्जी

यह मुलतः संस्कृत भाषा में है तथा आनन्द मठ से लिया गया था।

SHIVOM CLASSES
8696608541